

13.02.2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या एक से प्राप्त होकर आज पेश हुई। प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता आगे नहीं चलाना चाहते हैं एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लोक अदालत की बेंच संख्या एक के समक्ष इस प्रार्थना पत्र को विद्धो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिए विद्धो खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Bullio
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर,सिरोही

